Indian J. Soc. & Pol. 06 (02): 73-76 : 2019 **ISSN: 2348-0084(P)**
ISSN: 2455-2127(O)

निर्वाचन – लोकतन्त्र की आधार शिला

अर्चना सिंह[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, महाराज बलवंत सिंह पी0जी0 कॉलेज, गंगापुर (राजातालाब), वाराणसी, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

भारत संसदीय एवं संघीय व्यवस्था पर आधारित एक संवैधानिक लोकतन्त्र है जिसके हृदय में नियमित स्वतंत्र एवं न्यायसंगत निर्वाचन के प्रति गहरी निष्ठा है। भारतीय सन्दर्भ में निर्वाचन का व्यवस्थित अध्ययन कुछ प्रश्नों से संबद्ध है – भारतीय राजनीति में निर्वाचन का व्यापक अर्थ क्या है ? निरन्तर परिवर्तित हो रहा भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश किस प्रकार निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है ? क्या भारत में निर्वाचन पूर्णतः मुक्त एवं न्यायसंगत विधि द्वारा सम्पन्न हो पाता है ? निर्वाचनों के सफल सम्पादन में बाधक तत्व क्या है ? तथा इन बाधक तत्वों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने हेतु क्या सुझाव या प्रस्ताव उपलबध है ? प्रस्तुत शोध पत्र इन प्रश्नों के उत्तर का एक प्रयास है।

KEYWORDS : *लोकतंत्र, निर्वाचन, प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र*

संसार में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ प्रचलित है उनमें से लोकतन्त्र या जनतन्त्र एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें जनता के हित के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सारी व्यवस्था का संचालन करते है। इसी कारण जिन देशों में इस प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है राजनीतिक परिपेक्ष्य में उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य और सरकार कहा जाता है। यदि लोक या जनता द्वारा निर्वाचित सरकार लोक कल्याण के कार्य नहीं करती तो उसे अधिक से अधिक पाँच वर्षों में बदला जा सकता है। पाँच वर्षों में एक बार चुनाव कराना लोकतंत्र की पहली एवं आवश्यक शर्त होती है। चुनाव में प्रत्येक बालिग अपनी इच्छानुसार अपने मत को प्रयोग करके इच्छित व्यक्ति को जिताकर सत्ता में पहुँचा सकता है। लोकतन्त्र में मतदान एवं चुनाव का अधिकार होने के कारण प्रत्येक नागरिक परोक्ष रूप से सत्ता और शासन के संचालन में भागीदारी निभाता है।

चुनाव लोकतंत्र में नागरिकों को पाँच वर्षों में एक बार अवसर देते है कि अयोग्य एवं स्वार्थी प्रशासक दलों को उखाड़ फेका जाय तथा योग्य ईमानदार एवं जनता के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ लोगों को तथा दलों को शासन व्यवस्था संचालन की बागडोर सौपी जा सके। चुनाव प्रक्रिया द्वारा हम राजनीतिक दलों और नेताओं को उनकी गफलत के लिए सबक सिखा सकते हैं।

चुनाव की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था का सर्वाधिक सरल एवं महत्वपूर्ण आधार है। चुनाव वह माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था आम जनता एवं बुद्धिजीवी वर्ग तथा व्यक्ति एवं सरकार के मध्य सम्पर्क का मार्ग प्रशस्त होता है। यह राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने वाला जटिल घटनाक्रम है जो न सिर्फ समाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है वरन् उनके द्वारा स्वयं भी प्रभावित होता है। अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन सामाजिक परिवर्तन की वृहत प्रक्रिया का एक स्थिर चित्र होता है।''

भारत संसदीय एवं संघीय व्यवस्था पर आधारित एक संवैधानिक लोकतन्त्र है जिसके हृदय में नियमित स्वतंत्र एवं न्यायसंगत निर्वाचन के प्रति गहरी निष्ठा है। भारतीय सन्दर्भ में निर्वाचन का व्यवस्थित अध्ययन कुछ प्रश्नों से संबद्ध है – भारतीय राजनीति में निर्वाचन का व्यापक अर्थ क्या है ? निरन्तर परिवर्तित हो रहा भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश किस प्रकार निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है ? क्या भारत में निर्वाचन पूर्णतः मुक्त एवं न्यायसंगत विधि द्वारा सम्पन्न हो पाता है ? निर्वाचनों के सफल सम्पादन में बाधक तत्व क्या है ? तथा इन बाधक तत्वों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने हेतु क्या सुझाव या प्रस्ताव उपलबध है ?

निर्वाचन का अर्थ दो स्तरों पर समझा जा सकता है : पहला प्रक्रियात्मक तथा दूसरा वास्तविक। प्रक्रियात्मक स्तर पर निर्वाचन का अर्थ संकीर्ण है। यहां निर्वाचन का तात्पर्य उस विधि से है जो जनता द्वारा शासकों के चयन हेतु अपनाई जाती है। निर्वाचन का वास्तविक अर्थ अधिक व्यापक है। यहाँ निर्वाचन का अध्ययन लोकतन्त्र के मानदण्ड के रूप में किया जाता है।

डी0एल0 सेठ के मतानुसार –''भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विषय में कोई भी विचारधारा विकसित करने के क्रम में लोकतान्त्रिक निर्वाचनों के विस्तृत अनुभव को नजरअदांज नहीं किया जा सकता है।'' राष्ट्रीय स्तर पर सोलह एवं राज्य स्तर पर दो सौ पचास से भी अधिक निर्वाचनों के सफल संपादन के द्वारा भारतीय जनता में लोकतंत्र में अपने दृढ विश्वास का प्रमाण प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान के भाग XV में उल्लेखित अनुच्छेद 324–329 निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित कानूनी रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। निर्वाचन की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप देने वाले घटकों में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं की अहम भूमिका है। निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निरीक्षण में सम्पन्न होती है। जिसमें राजनीतिक दलों के प्रत्याशी परस्पर प्रतिस्पर्धा करते है। संसदीय लोकतंत्र का आधार गाँवों से लेकर देश व प्रदेशों की

1: Corresponding Author

राजधानियों तक फैले राजनीतिक दलों के संगठन के ढांचे होते है। जन जागरण एवं जनमत निर्माण का कार्य राजनीतिक दलों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। राजनीति दलों की विचारधारा, सिद्धान्त लक्ष्य और कार्यक्रमों के आधार पर जनता उनकी विशिष्ट पहचान विकसित करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में विकल्प रहित होने के कारण मतदाता शासकों के चयन हेतु उन्हीं प्रत्याशियों पर निर्भर करते है जिन्हें राजनीतिक दल सामने लाते है। भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं है। यह एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रों में बहुल निर्वाचकीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से वही प्रत्याशी विजयी होता है जो निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करता है। निर्वाचन के परिणाम के आधार पर बहुमत प्राप्त प्रत्याशियों का चयन शासको के रूप में किया जाता है।

निर्वाचन भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है तथा वर्तमान भारत में निर्वाचन का अर्थ ''राष्ट्र के शासकों के चयन हेतु किए गए मतदान'' से कही अधिक व्यापक है। निर्वाचन के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालते हुए सुब्रत के मित्र एवं बी0बी0 सिंह ने कहा है कि निर्वाचन का अध्ययन उन प्रश्नों को समाहित करता है जो हार जीत के मुद्दे से परे है। यह बहुत गहरे मुद्दों को उठाता है जैसे–राजनीतिक प्रक्रिया की वैधता, राजनीतिक प्रक्रिया की निर्वाचकगणों की अपेक्षाओं एवं आशाओं को पूरा करने की दक्षता तथा सामाजिक दरारों के पार लोकतन्त्र की अवधारणा की गहराई और विस्तार। समय के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था खासकर दलीय व्यवस्था में वृहत् परिवर्तन आया है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचन के व्यापक अर्थ पर पड़ा है।

भारत में चुनावी प्रक्रिया को 'लोकतन्त्र का महोत्सव' कहा जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका तथा सेना कुछ ऐसे संगठन है जिन्हें लोग सम्मान की दृष्टि से देखते है। 16वीं लोकसभा के सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन आयोग बधाई का पात्र है। किन्तु लोग देश में 30–40 दिनों तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते है कि यह किस प्रकार का लोकतन्त्र है जहां मतदान सुरक्षा बलों की छत्रछाया के बिना नहीं किया जा सकता किन्तु सत्य तो यह है कि चुनावी प्रक्रिया में यदि सुरक्षा व्यवस्था न हो तो बूथ कैप्चरिंग मतदाताओं के साथ जोर जबरदस्ती हिंसा इत्यादि होने की पूरी सम्भावना है। क्या ऐसे चुनाव जहाँ आम आदमी को राजनीतिक दल रूपया, शराब कीमती तोहफों से खरीदते है स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कहा जा सकता है ? मीडिया के सूत्रों के तहत लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग ने 1,100 करोड़ रूपये की नकदी शराब व नशीले पदार्थ आदि जब्त किये किन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक आकंडा 299 करोड़ रूपये है। गौर करने का विषय है कि 1,100 करोड़ रूपये की राशि चुनाव संचालन के कुल खर्च की एक तिहाई लागत है।

लोकतान्त्रिक देश में विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रणालियां अपनाई गई है। हम 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली का पालन करते है। इस प्रणाली में जिस किसी भी उम्मीदवार को अधिकतम संख्या में वोट प्राप्त होते है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि परिणाम जल्दी और निर्णायक तौर पर घोषित किये जाते है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह मतदाताओं की राजनीतिक पंसद का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है ? हाल ही में सम्पन्न 16वीं लोकसभा के चुनाव में 331 सांसद 50 प्रतिशत से कम मतदान से जीते है। यदि असली प्रतिनिधिकता का ब्यौरा ले (प्रतिनिधिकता = एक सांसद को मिले वोटो की संख्या का विभाजन में निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से किया जाय) तो औसत 31 प्रतिशत है। केवल 4 सांसद 50 प्रतिशत से अधिक से जीते है। यह दर्शाता है कि अधिकतर विजेता सांसद सही मायने में मतदाताओं के बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे है। इसके अलावा एक प्रतिशत मतदाताओं ने 'नोटा विकल्प' का प्रयोग किया। यह भी नेताओं के विरूद्ध मतदाताओं के असन्तोष का संकेतक है। आम धारणा यह है कि राजनेता चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए सबका दरवाजा खटखटाते हैं किन्तु निर्वाचित होने के पश्चात् अपने निर्वाचन क्षेत्र और उन मतदाताओं के प्रति जिन्होंने उन्हें चुना है उदासीनता प्रकट करते है।

हमारा विश्वास है कि शासन में सुधार लाने के लिए और देश को प्रगतिशील बनाने के लिए सही नेताओं का चुनाव अति आवश्यक है। अनुभव व विश्लेषण से देखा गया है कि सत्ता में रहने के उपरान्त निर्वाचित प्रतिनिधियों की सम्पत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। चुनाव अभियान के दौरान किए गए खर्च की वसूली निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान धन की एक बड़ी राशि एकत्रित करते है। इसलिए हमे ऐसा माहौल तैयार करने की आवश्यकता है जिससे सक्षम, ईमानदार कानून के पाबंद नागरिक लोकसभा, विधान सभाओं में निर्वाचित हो सके। लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है इसलिए राजनीतिक दलों पर न्यायपालिका नागरिक समाज संगठनों, केन्द्रीय महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संस्थानों निरन्तर का दबाव अति आवश्यक है। सही नेताओं को चुनने के लिए मतदाताओं में जागरूकता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मतदाताओं को यह समझाना होगा कि जो नेता आज उनका मत खरीदता है वह कल उनके भविष्य से समझौता करेगा।

चुनाव में धन और बाहुबल की भूमिका भलीभांति स्वीकार्य लोकतान्त्रिक मूल्यों और लोकाचार पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल रही है और प्रक्रिया को भ्रष्ट बना रही है : तेजी से हो रहा राजनीति का अपराधीकरण, बूथों पर कब्जे, धांधली, हिंसा आदि बुराईयों को बढ़ावा दे रहा है : सरकारी मशीनरी अर्थात सरकारी मीडिया और मन्त्रालयों के स्टाफ का दुरूपयोग अगंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी का बढता संकट जैसी समस्याएं हमारी मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है। इससे पहले की व्यवस्था स्वयं समाप्त हो जाए तत्काल सुधारात्मक उपाय करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। समय पर चुनाव प्रक्रिया में सुधार करके लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए कई आयोग एवं कमेटियाँ गठित की गयी जिनके सुझावों का व्यावहारिक उपयोग पूर्ण रूपेण नहीं हो सका है। बदलती राजनीति को सृजनात्मक बनाने हेतु चुनाव सुधारों के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव निम्नलिखित हो सकते है :–

1. आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक विकास की मूलवाहक 'शिक्षा' को ही माना गया है अतः शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का यथाशीघ्र हल खोजना होगा तभी हमारे जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधित्व को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं, ''यदि भारतीय समाज का अधिकतर मतदाता एवं राजनीतिक नेतृत्व अशिक्षित रहा, तो देश कभी भी वास्तविक रूप में विकसित नहीं बन सकता।''
2. हमारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित होते ही उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली प्रशासनिक तंत्र एवं अनुशासन सम्बन्धी अनिवार्य व वास्तविक प्रशिक्षण देना होगा जिससे वे अपने अधिकारों व कर्तव्यों को समझते हुए संयमित एवं संसदीय आचरण का प्रदर्शन कर सके।
3. सरकारी योजनाओं व पत्राचार की भाषा अत्यंत सरल व स्थानीय बोली में होनी चाहिए जिससे कम पढ़े–लिखे जनप्रतिनिधि भी उसके सही अर्थ को समझ कर कार्य करते रहें और भ्रष्ट एवं चालाक अधिकारी व कर्मचारी उन्हें गुमराह न कर सकें।
4. महिला जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित होते ही सहायक के रूप में महिलाकर्मी ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वे स्वतंत्र एवं सहज रूप से कार्य कर सकें और महिला जनप्रतिनिधित्व सार्थक एवं जनकल्याणकारी बन सके।
5. चुनावों के दौरान पीछे के दरवाजे से आ रहे कालेधन और उसके प्रयोग पर जाँच एजेन्सियों को कड़ी नजर रखनी होगी, पकड़े गए दोषियों पर कठोर कार्यवाही करके कालेधन के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है।
6. मतदान एवं मतगणना स्थलों पर उम्मीदवारों एवं उनकी पार्टी के नेताओं के अनुचित हस्तक्षेप एवं चहलकदमी को रोका जाना चाहिए जिससे कि वे लोग चुनाव प्रक्रिया, मतगणना और चुनाव परिणाम को दुष्प्रभावित न कर सकें।
7. अपराधियों एवं राजनेताओं के गठजोड़ को ध्वस्त करने हेतु वोहरा समिति की सिफारिशों को यथाशीघ्र कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि नेताओं के अपराधियों के साथ गठजोड़ को तीव्र व सतत प्रहारों द्वारा समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
8. नारियों के लिए नेतृत्व अभाव को दूर करने हेतु वर्तमान महिला नेत्रियों, मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों को ही सक्रिय रहना होगा, क्योंकि पिछड़ी नारियों को सुविधाएं दिलवाने मे यही महिलाएं परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है और अपनी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान के रास्ता निकाल सकती हैं, जैसा कि डॉ. अम्बेडकरजी ने भी कहा है–''राजनीतिक शक्ति वह मास्टर चाबी है जिससे समस्याओं रूपी तालों को खोला जा सकता है।''

भारत में निर्वाचन अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्वाचन जनता को निर्णय–निर्माण का अवसर प्रदान कर लोकतांत्रिक मानसिकता को प्रोत्साहित करने का कारक रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्वाचन समस्त निर्वाचक गण–धनी एवं निर्धन, शहरी एवं ग्रामीण, शिक्षित एवं अशिक्षित तथा पुरूष एवं महिला को मतदान का समान अवसर प्रदान कर समतामूलक विचारधारा का प्रसारक रहा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्वाचन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन से संबंधित चुनौतियों को प्रस्तुत कर निर्वाचन की सफल विधि की खोज पर शोध कार्यों को आमंत्रित करता है। निर्वाचन द्वारा प्रदत्त भरोसेमंद आंकड़े मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक हैं एवं विषय के रूप में सेफॉलजी शास्त्र के विकास का स्त्रोत हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति से आरंभ करते हुए देखा जाए तो भारत में निर्वाचन कई दौरों से गुजर चुका है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। दलीय व्यवस्था एक दल प्रधान बहुदलीय प्रणाली से ध्रुवीकृत बहुदलीय प्रणाली में परिणत हो गई है। राजनीतिक दल मतों को अपने पक्ष में चलायमान करने हेतु सिद्धान्तों एवं विचारधाराओं के स्थान पर संकीर्ण जातीय, धार्मिक एवं क्षेत्रीय उत्तेजना का प्रयोग कर रहे हैं। 1952 के प्रथम निर्वाचन की तुलना में 2014 के सोलहवें निर्वाचन का मतदाता अधिक परिपक्व एवं अपने मत के मूल्य एवं शक्ति के विषय में अधिक जागरूक है। पिछड़ी जातियां एवं महिलाएं अधिक संख्या में सहभागिता दर्शाकर निर्वाचन के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण को प्रदर्शित कर रही हैं। भारतीय निर्वाचकीय राजनीति बदलते हुए परिवेश के अनुरूप स्वयं को ढ़ालने का प्रयास कर रही है तथा अनुकूलन के इस प्रयास के फलस्वरूप निर्वाचन की प्रक्रिया में कई गुणों एवं दुर्गुणों का मिश्रित समावेश हो रहा है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन की प्रणाली में गुणों की वृद्धि एवं दुर्गुणों से मुक्ति की दिशा में प्रयासरत है। निःसंदेह, भारत में निर्वाचन आधुनिकीकरण का सशक्त माध्यम है। वर्तमान भारत में निर्वाचन समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत ''वैश्विक'' (global) एवं ''स्थानीय'' (local) बलों के परस्पर द्वन्द्व से प्रभावित है। रोसेनो के अनुसार दोनों ही बल राष्ट्र–राज्य की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय मतदाता एक ओर वैश्विक बलों से प्रभावित है तो दूसरी ओर स्थानीय बलों से। ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन की प्रक्रिया दुविधाग्रस्त भारतीय मतदाता को स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने तथा इन मुद्दों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का माध्यम प्रदान करती है।

REFERENCES

यादव, योगेन्द्र, ''यूनाइटेड कलर्स ऑफ कांग्रेस'' 1998–1999, इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम XXXXIV, XXXV, नं0 34 एवं 35, पृ. 21–27.

यादव, योगेन्द्र, *''अंडरस्टैंडिंग सेकैंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज''*, फ्रेंसाइन फ्रैंकल, पूर्वोद्धत।

कृष्ण गोपाल, (1966)''वन पार्टी डॉमीनेंस'', *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,* जनवरी–मार्च, 1966.

कोठारी, रजनी, (1989) *स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी : इन सर्च ऑफ ह्यूमेन गवर्नेंस,* अजंता प्रकाशन पृ. 3–4.

मेंदीरता, एस.के.(2009) ''क्रीमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स'', *योजना* जनवरी 2009 पृ0 32–35.

मित्रा, सुब्रत के., एवं सिंह, वी.बी. (1999) *डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज इन इंडिया,* दिल्ली, सेज पब्लिकेशन

वाजपेयी, अटल बिहारी (2002) *''संसदीय लोकतंत्र को अपना वायदा पूरा करने के लिए सक्षम बनाना''*, भारतीय संसद के 50 वर्ष, लोकसभा : नई दिल्ली, पृ. 20